

सॉफ्टवेयर - 380/2026

Print



Form A

See Rule 3(1)

Application for Right To Information

Application No **BR260102000103** (Office Use Only)



To,

Public Information Office
Department : Road and Construction Department

1. Applicant Name : Ravi Raman Kumar
2. Address : Singhia Ghat
Siwan Chowk
District - SAMASTIPUR Block - BIBHUTIPUR Panchayat - None
Village - None Pin - 848236 State - Bihar

Information Sought

यदि बिहार सरकार का इससे संबंधित कोई चिट्ठी/विज्ञापन निकली हो तो कृपया वो भी उपलब्ध कराने की कृपा की जाए

Reply Remarks

--

I hereby declare that the Information I have asked for is related to your department/office and as per my knowledge it is not exempted under the sections 8 and 9 of RTI Act 2005.

I have paid Rs. 10/- to the Department / Office

Date : 02/01/2026

Applicant's Details

Email Id : theraviraman@gmail.com

Contact : +91-9060121272
No.

Address : Singhia Ghat
Siwan Chowk
District - SAMASTIPUR Block - BIBHUTIPUR
Panchayat - None Village - None Pin - 848236 State - Bihar

36ms
300ms
06/01/26
सॉफ्टवेयर
06-01-2026

This is system generated file, need not to be signed

'सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005'
(धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन)

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी (PIO)

पथ निर्माण विभाग

..... प्रमंडल / जिला -

बिहार सरकार

विषय :

पथ निर्माण विभाग में Class-4 ठेकेदार पंजीकरण (10 वर्ष) के उपयोग, कार्य-क्षेत्र एवं उससे संबंधित विभागों की जानकारी तथा बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में सामग्री/सामान (Goods) आपूर्ति हेतु आवश्यक नियम, प्रक्रिया एवं दस्तावेजों के संबंध में सूचना प्राप्त करने हेतु।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि मैं बिहार सरकार के अंतर्गत निर्माण कार्य (ठेकेदारी) एवं सरकारी कार्यालयों में सामग्री/सामान की आपूर्ति (Goods Supply) के क्षेत्र में कार्य करना चाहता हूँ।

अतः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं पर स्पष्ट, तथ्यात्मक एवं लिखित सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें:

♦ **भाग-1 : पथ निर्माण विभाग - Class-4 ठेकेदार पंजीकरण के संबंध में**

- पथ निर्माण विभाग में Class-4 ठेकेदार पंजीकरण का उद्देश्य एवं विस्तृत कार्य-क्षेत्र (Scope of Work) क्या है?
- Class-4 ठेकेदार से किस-किस प्रकार के कार्य (जैसे सड़क मरम्मत, पैच वर्क, नाली, पुलिया, रखरखाव, आपातकालीन कार्य आदि) कराए जाते हैं?
- Class-4 ठेकेदार के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्यों की न्यूनतम एवं अधिकतम लागत सीमा (Tender/Work Value Limit) क्या निर्धारित है?
- Class-4 ठेकेदार पंजीकरण की वैधता अवधि 10 वर्ष होने के दौरान ठेकेदार को कौन-कौन से विभागीय लाभ प्राप्त होते हैं?
- क्या Class-4 ठेकेदार पंजीकरण केवल निर्माण/सिविल कार्यों के लिए मान्य है अथवा इसके अंतर्गत सामग्री/सामान की आपूर्ति (Goods Supply) भी की जा सकती है?
- Class-4 ठेकेदार को भविष्य में Class-3 में उन्नयन (Up-gradation) हेतु क्या नियम, शर्तें एवं प्रक्रिया निर्धारित हैं?

♦ **भाग-2 : Class-4 ठेकेदार लाइसेंस का उपयोग - विभागों के संबंध में**

- कृपया स्पष्ट करें कि Class-4 ठेकेदार लाइसेंस का उपयोग पथ निर्माण विभाग के अतिरिक्त किन-किन अन्य विभागों में किया जा सकता है?
- क्या निम्न विभागों में Class-4 ठेकेदार से कार्य कराया जाता है?
- ग्रामीण कार्य विभाग • भवन निर्माण विभाग • पंचायती राज विभाग
- लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण जल संसाधन विभाग • गृह / पुलिस विभाग

यदि हाँ, तो प्रत्येक विभाग में कराए जाने वाले कार्यों का संक्षिप्त विवरण प्रदान किया

♦ **भाग-3 : सरकारी कार्यालयों में Goods / Material Supply के संबंध में**

- ICDS, स्वास्थ्य विभाग, MNREGA, शिक्षा विभाग एवं अन्य सरकारी कार्यालयों में सामग्री/सामान की आपूर्ति करने हेतु क्या Class-4 ठेकेदार पंजीकरण अनिवार्य है?
- किसी व्यक्ति/फर्म को Goods Supplier / Vendor के रूप में कार्य करने हेतु कौन-कौन से दस्तावेज अनिवार्य हैं?
- क्या Goods Supply हेतु बिहार सरकार के e-Procurement Portal पर पंजीकरण अनिवार्य है?
- क्या सामग्री आपूर्ति के लिए विभागीय स्तर पर अलग से Vendor Registration / Empanelment की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो उसकी प्रक्रिया स्पष्ट की जाए।
- क्या Goods Supplier के लिए GST पंजीकरण (GSTIN) अनिवार्य है तथा MSME/ Udyam पंजीकरण अनिवार्य अथवा वैकल्पिक है?
- क्या जिला स्तर पर सीमित निविदा (Limited Tender) / कोटेशन के माध्यम से भी सामग्री आपूर्ति कराई जाती है? यदि हाँ, तो उसकी प्रक्रिया क्या है?

♦ **भाग-4 : नियम / अधिसूचना**

उपर्युक्त सभी विषयों से संबंधित यदि कोई सरकारी नियमावली, अधिसूचना, परिपत्र, मार्गदर्शिका या निर्देश जारी किए गए हों, तो उनकी प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध कराने की कृपा करें।

कृपया अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध कराने की कृपा करें।

भवदीय,

आवेदक का नाम : रवि रमन कुमार
पता: सिंधिया घाट, सिवान चौक।
पिन कोड : 848236
Mobile number: 9060121272

(लोक सूचना पदाधिकारी के द्वारा अपने विभाग के किसी प्रशाखा से मांगी गयी सूचना हेतु)

पत्र संख्या:-लो.सू.को./आई०डी०सं०-380/25-26 114 (E) पटना, दिनांक-07/01/2026

प्रेषक:

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07 एवं 08,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

महाशय,

श्री रवि रमन कुमार का सूचना आवेदन दिनांक-02.01.2026 जो इस विभाग में दिनांक-06.01.2026 को प्राप्त हुआ है, (आई०डी०सं०-380/25-26) इसके साथ संलग्न किया जाता है :-

याचित सूचना आवेदन इस कार्यालय के क्षेत्राधिकार में पड़ता है लेकिन याचित सूचना आपके प्रशाखा से संबंधित है। अतः अधिनियम की धारा-5 (4) के आलोक में प्रपत्र-'क' को आपके क्षेत्राधिकार/प्रशाखा से संबंधित सूचना हेतु संलग्न किया जाता है।

विदित हो कि अधिनियम की धारा-5 (5) के आलोक में आपके द्वारा ससमय सूचना उपलब्ध कराना आवश्यक है एवं आवेदक को प्रपत्र-'क' विभाग में प्राप्त होने के अधिकतम 30 दिनों के अन्दर सूचना उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

अतः एक सप्ताह के अन्दर सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के आलोक में वांछित सूचना दो सेट में अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाए।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

General
7/1/26

लोक सूचना पदाधिकारी

दिनांक-07/01/2026

ज्ञापांक-114 (E)

प्रतिलिपि: मुख्य अभियंता (संविदा प्रबंधन, नीतिगत मामले एवं लेखा परीक्षा), प्रभारी प्रशाखा-07 एवं 08, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

कम्प्यूटरीकृत निर्गत
पंजीयन सं०.....
दिनांक-.....

General
7/1/26
लोक सूचना पदाधिकारी

(8)

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

सं०सं०-प्र०-7/सू० अधि०-06-02/2026- 324(E)^{we} /पटना, दिनांक 16/01/2026

प्रेषक,

सहायक लोक सूचना पदाधिकारी
-सह-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-7
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषय :- श्री रवि रमन कुमार का सूचना आवेदन दिनांक-02.01.2026
(आई०डी०सं०-380/25-26) के संबंध में।

प्रसंग :- आपका पत्रांक-114(E)We दिनांक-07.01.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से उपलब्ध कराये गये सूचना आवेदन द्वारा याचित सूचना के संबंध में कहना है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के कंडिका-3(क) के आलोक में अधिसूचना सं०-13589(S) दिनांक-13.12.2011 तथा अधिसूचना सं०-5932(S)We दिनांक-01.07.2015 की प्रति संलग्न की जा रही है।

अन्य विषयों पर सूचना हेतु अलग-अलग सूचना आवेदन संबंधित प्राधिकार को दिया

जाना अपेक्षित होगा।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

14/1/26

सहायक लोक सूचना पदाधिकारी
-सह-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-7
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

(S)

(21) 17

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
अधिसूचना

संख्या-प्र०-०/नियम-०३-०४/२००२

13589 (5) /पटना, दिनांक 13.12.11

बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली २००७ के अन्तर्गत श्रेणी १, २ एवं ३ में निबंधित संवेदक पूरे राज्य में निविदा में भाग लेने हेतु सक्षम हैं। सरकार की मंशा है कि रुपये २५.०० लाख रुपये से कम लागत के कार्यों को स्थानीय स्तर (जिला स्तर) पर निबंधित संवेदकों से कराया जाय एवं रुपये २५.०० लाख से कम लागत के कार्यों से निबंधित श्रेणी १, २, एवं ३ के संवेदकों को अलग रखा जाय। तदनुसार पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या-६७३७ (एस) दिनांक-०७.०५.२००७ द्वारा निर्गत बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली २००७, तथा जो पत्र संख्या-१३२११ अनु० दिनांक-१६.१०.२००८ द्वारा राज्य के अन्य सभी कार्य विभागों के लिये लागू है, में संशोधन के साथ निम्नलिखित उपबंध किये जाते हैं :-

- (२) बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली २००७ के नियम-२ में श्रेणी-०३ के बाद "श्रेणी-०४" जोड़ा जाता है। यह श्रेणी "स्थानीय अभिकर्ता श्रेणी" कहा जायेगा। श्रेणी-४ के अन्तर्गत निबंधित संवेदक २५.०० लाख (रुपये पच्चीस लाख) तक के निर्माण कार्य हेतु निविदा देने के लिये सक्षम होंगे।
- (३) बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली २००७ के नियम-०३ में श्रेणी-०३ तथा श्रेणी-०३ के लिए विहित निबंधन शुल्क के बाद श्रेणी-०४ और श्रेणी-०४ के लिये निबंधन शुल्क-६०००.०० (पाँच हजार) रुपये जोड़ा जाता है।
- (४) बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली २००७ के नियम-०४ की उप कंडिका-ख तथा उप कंडिका-ग के बाद क्रमशः उप कंडिका-घ, उप कंडिका-ङ, तथा उप कंडिका-च के रूप में निम्न को जोड़ा जाता है :-
 - (घ) श्रेणी-०४ के निबंधन हेतु कार्यपालक अगियंता से अन्यून किसी पदाधिकारी, जो राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत किये गये हो, निबंधन पदाधिकारी होंगे।
 - (ङ) श्रेणी-०४ में संवेदक का निबंधन बिहार राज्य के अन्तर्गत किसी एक जिला के लिये निबंधित होंगे, और उनका कार्य क्षेत्र यही जिला का क्षेत्र होगा, और वे उस जिले के अन्तर्गत २५.०० लाख (पच्चीस लाख) रुपये एवं उससे कम की राशि के लिये अन्य सरकारी विभागों/ निकायों में कार्य करने के लिये योग्य माने जायेंगे।
 - (च) २५.०० लाख (पच्चीस लाख) रुपये तक के कार्यों के निविदा में श्रेणी-०४ में निबंधित संवेदक ही भाग ले सकेंगे अर्थात् अन्य श्रेणी-१, २, ३ में निबंधित संवेदक २५.०० लाख (पच्चीस लाख) रुपये एवं उससे कम के कार्यों की निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे।

- (५) बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली २००७ के नियम-०६ की उप कंडिका-"घ" तथा उप कंडिका-"च" के बाद क्रमशः उप कंडिका-"छ" तथा उप कंडिका-"ज" के रूप में निम्न को जोड़ा जाता है :-
 - (छ) इच्छुक व्यक्ति/संवेदक जिस जिला के लिये निबंधन कराना चाहेंगे वे उसी जिला के अन्तर्गत स्थित पथ निर्माण विभाग के पथ प्रगंडल में निबंधन हेतु विहित आवेदन (निबंधन शुल्क सहित) जमा करेंगे।

(R)

20
(ज) अनधारत शुल्क का बैंक ड्राफ्ट "कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग (संबंधित स्थान विशेष) के पत्र में भुगतान हो।

उपर्युक्त के आलोक में बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

Raj

13/12/11

(राजकिशोर प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

झापांक प्र०-८/नियम-०३-०४/२००२ 13590(S) /पटना, दिनांक.....13.12.11

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Raj

13/12/11

(राजकिशोर प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

झापांक प्र०-८/नियम-०३-०४/२००२ 13590(S) /पटना, दिनांक.....13.12.11

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-७ को आगामी बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्व-साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि उसकी एक हजार गजट प्रतियाँ पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार के उपयोग हेतु उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

Raj

13/12/11

(राजकिशोर प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

झापांक प्र०-८/नियम-०३-०४/२००२ 13590(S) /पटना, दिनांक.....13.12.11

प्रतिलिपि :- सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष, सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी निकाय, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Raj

13/12/11

(राजकिशोर प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

झापांक प्र०-८/नियम-०३-०४/२००२ 13590(S) /पटना, दिनांक.....13.12.11

प्रतिलिपि :- सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता (शेड्यूल उपभाग सहित) पथ निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Raj

13/12/11

(राजकिशोर प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव

(23) 5

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
अधिसूचना

संख्या:- प्र06/नियम-03-04/2002(फोल्डर) - 5932 (S) WHE पटना, दिनांक 1.7.15

पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना संख्या-5737(एस) दिनांक 07.05.2007 द्वारा बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 निर्गत है जो विभागीय पत्र संख्या-13211(एस) अनु0 दिनांक 16.10.2008 द्वारा राज्य के अन्य सभी कार्य विभागों के लिए भी लागू है। विभागीय अधिसूचना संख्या- प्र0 6/नियम-03-04/2002-13589(एस) दिनांक 13.12.2011 सहपठित जापांक 13590 (एस) दिनांक 13.12.2011 द्वारा बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के नियम-2 में श्रेणी-3 के बाद श्रेणी-4 जोड़ा गया है तथा इस श्रेणी को स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी कहा गया है। श्रेणी-4 के अन्तर्गत निबंधित संवेदक जिस जिला में निबंधित हैं, उस जिला के 25 लाख तक के सभी कार्यों में निविदा देने के लिए सक्षम हैं।

2. राज्य सरकार द्वारा श्रेणी-04 के संवेदकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 एवं विभागीय अधिसूचना संख्या-13589(एस) दिनांक-13.12.2011 में निम्न संशोधन किये जाते हैं :-

2.1 (3) स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी (श्रेणी-04) में निबंधन शुल्क के रूप में 2000.00 (दो हजार) रुपये देय होगा।

2.2 बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) (संशोधन) अधिनियम 2002 - (बिहार अधिनियम- 17/2002) के अन्तर्गत आरक्षण की पात्रता रखने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यन्त पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिला सदस्य निबंधन हेतु आवेदन पत्र (अनुलग्नक-1) में जाति का नाम, आरक्षित कोटि की सूचना अंकित करेंगे तथा अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करेंगे। आरक्षित कोटि के संवेदक के ठीकेदारी निबंधन प्रमाण-पत्र में आरक्षित कोटि का उल्लेख रहेगा ताकि प्रत्येक बार निविदा के समय जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करने की अनिवार्यता नहीं रहे।

2.3 आरक्षित कोटि के वैसे संवेदक, जिनका श्रेणी-04 में पूर्व से वैध निबंधन है, वे आरक्षित कोटि के लिए सुरक्षित कार्यों में भाग लेने के लिए सक्षम होंगे। परन्तु वैसे संवेदकों को निविदा के साथ अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

2.4 पंजीकरण के समय निम्नलिखित कागजात जमा करना होगा :-

- (क) प्रपत्र 'क' एवं 'ख' (अनुलग्नक-1 के रूप में संलग्न) में आवेदन पत्र
 - (ख) PAN रजिस्ट्रेशन की अभिप्रमाणित प्रति
 - (ग) आवेदन पत्र में अंकित पता का साक्ष्य (Address Proof) की अभिप्रमाणित प्रति।
 - (घ) निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट "कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग
- (संबंधित स्थान विशेष) के पक्ष में भुगतान हो।

de

(22)
22

(च) जाति प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति जो अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत हो ।

2.5 (4)(क) श्रेणी-1, 2 एवं 3 के लिए निबंधन पाँच वर्षों के लिए अनुमान्य होगा। परन्तु स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी (श्रेणी-04) का निबंधन 10 वर्ष के लिए अनुमान्य होगा।

इस अवधि के दौरान श्रेणी दो एवं तीन में पंजीकृत संवेदक यदि चाहें तो श्रेणी एक में अतिरिक्त शुल्क जमा कर निबंधित हो सकते हैं। ऐसा करने पर उनकी निचली श्रेणी का पंजीकरण स्वतः रद्द समझा जाएगा।

2.6 (7) नवीकरण:- श्रेणी-1, 2 एवं 3 के लिए पाँच वर्ष के अवधि के बाद पुनः कंडिका 3 (बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के प्रासंगिक अधिसूचना) में दिये गये शुल्क को जमा कर नवीकरण कराया जा सकेगा। स्थानीय अभिकर्त्ता श्रेणी (श्रेणी-04) के लिए 10 वर्ष की अवधि के बाद पुनः उक्त कंडिका 2.1 में प्रावधानित शुल्क जमा कर नवीकरण कराया जा सकेगा।

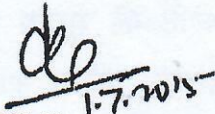
सभी श्रेणी हेतु नवीकरण के लिये आवेदन पत्र निबंधन समाप्त होने के एक माह पूर्व दिया जाना होगा।

2.7 आवेदन पत्र:- इच्छुक आवेदक प्रपत्र-'क' (अनुलग्नक-1) में उल्लेखित प्रपत्र को भरकर आवेदन देंगे। निबंधन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-'ख' में उल्लेखित निबंधन प्रमाण-पत्र जारी किया जायेगा।

2.8 बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007, विभागीय अधिसूचना संख्या-13589 (एस) दिनांक 13.12.2011 एवं इससे संबंधित निर्गत अन्य सभी निदेश यथावत लागू रहेगा।

3. उक्त कंडिका-2 एवं संबंधित अन्य उपकंडिकाओं में निरूपित प्रावधान में परिलक्षित त्रुटि या कठिनाई का परिमार्जन करने तथा उपबंध के अनुरूप कार्यान्वयन-संबंधित दिशा निदेश निर्गत करने हेतु पथ निर्माण विभाग प्राधिकृत होगा।

अनु0-यथोक्त।


1.7.2015
(रमा कान्त प्रसाद)

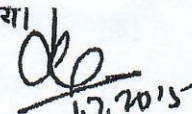
संयुक्त सचिव(प्र0को0)

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

जापांक:प्र06/नियम-03-04/2002(फोल्डर) 5933(S) पटना, दिनांक 1.7.15

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ एवं प्रकाशनाश प्रेषित।

अनुरोध है कि इसे बिहार राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित कर बिहार राजपत्र की 1000 प्रतियाँ पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।


1.7.2015
(रमा कान्त प्रसाद)

संयुक्त सचिव(प्र0को0)

पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

प्रपत्र 'घ'
(सूचना उपलब्ध कराना)
(नियम 4 (1) देखें)

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्र संख्या:-लो.सू.को./आई०डी०सं०-380/25-26 410(E) पटना, दिनांक-19/01/2026

प्रेषक,

लोक सूचना पदाधिकारी,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

स्पीड पोस्ट सेवा में,

श्री रवि रमन कुमार,
Singhia Ghat, Siwan chowk,
Block- Bibhutipur, Dist.- Samastipur,
Pin-848236, State- Bihar,
Mo.-9060121272

महाशय,

यह आपके सूचना आवेदन दिनांक-02.01.2026 जो इस विभाग में दिनांक-06.01.2026, को प्राप्त हुआ है, (आई०डी०सं०-380/25-26) में देय/अदेय सूचना के संबंध में है :-

2. याचित सूचना संबंधी प्रतिवेदन प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-324 (ई)अनु० दिनांक-16.01.2026 से प्राप्त है, को संलग्न किया जाता है।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ज्ञापांक-410(E)

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-07, पथ निर्माण विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

लोक सूचना पदाधिकारी
पटना, दिनांक-19/01/2026

लोक सूचना प्रदाधिकारी

कम्प्यूटरीकृत निगम
पंजीयन सं०.....
दिनांक-.....